संचिका सं0 10/विविध–16–13/2012 1527 (10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांकः– 16/3/2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रुपये 1,60,00,000/–(एक करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश –स्वीकृत

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पत्रांक–87, दिनांक–28.02.2018 के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित कुल रुपये 1,60,00,000/–(एक करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इसका व्यय मांग संख्या–20 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–200–अन्य पद्धतियाँ– 0002–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, विपत्र कोड–20–2210052000002–विषय शीर्ष (31 04) सहायक अनुदान–वेतन में उपबंधित राशि 1,35,00,000/–(एक करोड़ पैंतीस लाख) रुपये एवं विषय शीर्ष (31 06) सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 25,00,000/–(पच्चीस लाख) रुपये से विकलनीय होगा ।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–42 में राशि की निकासी कर पूर्व पावती रसीद लेकर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे । निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार संस्थान स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का ही वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे । इस राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यदि किसी बकाये का भुगतान अपेक्षित हो तो इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ।

5. इस राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 8593 वि0(2) दिनांक 27.11.2007, 96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 एवं 3923 वि0(2) दिनांक 09.04.2010 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. क्रय सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक 18.02.1999, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002, 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक– 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।

7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि संस्थान द्वारा खोले गए राष्ट्रीयकृत बैंक में विपत्र द्वारा हस्तान्तरित किया जाएगा।

8. राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

9. विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 15वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

10. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

13. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- 16/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:– 10/विविध–16–13/2012 1527 (10)/स्वा0, पटना, दिनांक– 16/3/2018

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन सचिवालय पटना/निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–10 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 16/3/18

सरकार के विशेष सचिव।